आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

प्राधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम वाद संख्या 151/13–14

विफन यादव एवं अन्य वनाम् धर्मेन्द्र यादव

आदेश

6.06.14 आवेदक विफन यादव पिता स्व० भनु यादव एवं दिनेश यादव वो लालदेव यादव पिता विफन यादव सभी निवासी पक्का मठ थाना करपी जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर वादी के मकान को प्रतिवादी के द्वारा किये गये अवैध कब्जा से मुक्त कराने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो ग्राम केयाल टोला पक्का मठ थाना करपी जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता नं०	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
110	7218	11 कट्टा में $2\frac{1}{2}$ कट्टा	उतरः– बुधन सिंह दक्षिणः– विकास चौकीदार पूरबः– इसी प्लॉट का अंश पश्चिमः–बुधन सिंह

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त जमीन को आवेदक संख्या 01 विफन यादव के बड़े भाई स्व० बाबुराम यादव के नाम 1962 में खरीदगी भूमि है। वादी पाँचों भाई उक्त भूमि में मकान बनाने हेतु मौखिक बँटवारा कर मकान निर्माण कर चुके है। प्रतिवादी के पिता नौकरी से सेवा निवृत होकर गाँव पर आये थे, वादी के मकान में बाजबर्दस्ती प्रवेश कर गये है। वादी अपने मकान से प्रतिवादी के पिता स्व० सौदागर यादव को निकालने लगे तो वादी एवं प्रतिवादी के पिता के बीच विवाद खड़ा हो गया था। दोंनों पक्ष के विवाद का समाधान करने के लिए ग्रामीण पंचों के द्वारा दिनांक 08.07.1996 को एक लिखित पंचायती हुआ था। पंचनामा बनने के कुछ दिन बाद वादी के भाई सौदागर यादव की मृत्यु हो गयी। वर्तमान समय में वादी के मकान को स्व० सौदागर यादव के पुत्र प्रतिवादी धर्मेन्द्र यादव पूर्व के पंचनामा को मानने से इनकार करते हुए वादी के मकान को बलपूर्वक कब्जा कर लिये है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विवादित

भूमि द्वितीय पक्ष के हिस्से की भूमि है जिसपर मकान का निर्माण कर द्वितीय पक्ष सपरिवार वर्षो पूर्व से रह रहे है। प्रश्नगत् भूमि जिसका खाता संख्या 110 प्लॉट संख्या 7218 कुल रकवा 31 डी० दिनांक 08.07.1996 को लिखित पंचनामा (खानगी) ड्योढ़बंदी बॅटवारा के द्वारा सिड्यूल नं० 3 में वर्णित द्वितीय पक्ष धर्मेन्द्र यादव के पिता स्व० सौदागर सिंह को मिला है। सभी फरीक पंचनामा में अंकित सिड्यूल में प्राप्त भूमि पर दाखिल काबिज है और आज तक उक्त पंचायती बॅटवारा एवं लिखित पंचनामा के विरूद्व किसी का कोई आपति ना रहा है और ना है।

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि आवेदक ने विवादित भूमि,जिस पर मकान बना हुआ है और विपक्षी सपरिवार निवास करते है,से विपक्षी को निकालने हेतु वाद लाया गया है। किसी भी व्यक्ति को आवासीय मकान से निकालने हेतु आदेश पारित करने का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसके लिए सक्षम न्यायालय में Eviction Suit दाखिल करने का प्रावधान है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

4.6.06

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

4.6.06

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।